

विचार बिन्दु

ढंड अन्यायी के लिए न्याय है। –अगस्तियन

नेता गैर कानूनी काम करने वालों के साथ भी खड़े दिखते हैं!

पहले चुनावी नारों में पूछा जाता था आपका नेता कैसा हो, तो जवाब में लोगों का समूह चिल्लाता था फलों नेता जैसा हो। अब ऐसे नारे नहीं सुनाई पड़ते क्योंकि राजनीति में अब वैसे नेता होते ही नहीं जिन पर अभिमान किया जा सके या उनका अनुशरण किया जा सके। अब तो बद-दिमाग बाहुबलियों और किसी को कुछ न समझने वालों का समय है। युवावस्था में धौंस-पट्टी करते हुए राजनीति की सीढ़ियां चढ़ने का जतन किया जाता है। एक बार विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव जीत कर मिलने आये एक युवा से जब तत्कालीन मुख्यमंत्री ने पूछा कि उसने छात्रसंघ का चुनाव क्यों लड़ा, तो उसका मासूम जवाब था कि वह राजनीति में आना चाहता है और आगे चलकर एमएलए बनना चाहता है। ऐसा ही एक बार यूनिसेफ ने पंचायतों में पहली बार जीतकर आयी महिला पंचों की एक कार्यशाला रखी जिसमें बहुत सी युवा लड़कियां थी – कुछ जीस पहने भी। वहां सबसे एक सवाल पूछा गया कि वे क्यों इस पद की आकांक्षी हुईं, तो सभी का सहज जवाब था कि वे अब सरकार में अपने परिवार और दूसरे अपने लोगों के काम करना संकेगी। ऐसा वे इसलिए बोल रही क्योंकि उनका राजनीति में परिक्रम होकर यह कहना सीखना कि हम अपने क्षेत्र तथा आमजन के कल्याण के लिए आये है बाकी था। लोक कल्याणकारी राज्य की बात भी शायद इसीलिए अब नहीं की जाती। वह जमाना गया जब अर्थशास्त्री मानते थे कि लोक कल्याणकारी राज्य में तो बरत घाटे का ही होगा और प्रशासनिक खर्च कम करके विकास पर अधिक पैसा खर्च किया जाएगा। मगर अब सब कुछ उलट गया। अब सरकार हर सेवा का शुल्क लेकर अपना मुनाफा बढ़ाती है और अपने अमले पर खर्च बढ़ाती जाती है। अब राजनीति सेवा का व्रत नहीं एक पेशा बन गई है और राजनेता पेशेवरा राजनेता सफल होने के लिए पेशेवर व्यावसायिक एजेंसियों की सेवाएं भी लेने लगे हैं। व्यावसायिक एजेंसियां उनके लिए जन-संपर्क का काम करती हैं। और तो और पत्रकारिता की उच्च शिक्षा के संस्थानों में विभिन्न माध्यमों पर प्रचार के हुनर सिखाए जाने लगे हैं और जनसंचार के आधुनिक साधनों के विषय में डिग्रियां भी दी जाने लगी हैं ताकि छात्रों को बाद में इस क्षेत्र में रोजगार मिल सके। कॉर्पोरेट जगत ने पत्रकारिता और राजनीति को भी अपने पाश में बांध लिया है। राजनीति के ऐसे नये माहौल में निर्वाचित प्रतिनिधि अपने को लोकतान्त्रिक व्यवस्था में भी राजा-महाराजाओं या सीईओ जैसा व्यवहार करने लगे हैं तो क्या आश्चर्य है। वे समझते हैं कि संवैधानिक व्यवस्था में निर्वाचित हो जाने पर अब वे ही कानून हैं। वे अपनी राजनीति को चमक देने के लिए कानून तोड़ने वालों के साथ खड़े नज़र आते हैं। अखबारों में और सोशल मीडिया पर विडिओ के साथ ऐसी खबरें आम पाई जाती हैं कि कोई विधायक साहब लोगों के समूह के सामने सरकारी कर्मचारियों को फटकारते हैं या फोन पर किसी अफसर को डांटते-फटकारते हैं। ऐसा माहौल बनाया जाता है कि जैसे सारा प्रशासन खराब है और जन प्रतिनिधि जिनकी तरफ़दारी में खड़े दिख रहे हैं वे सब दूध के धुले हैं और पीड़ित हैं। यह भी सब जानते हैं कि इन पीड़ितों में वे भी होते हैं जो कानून तोड़ते हुए कोई भवन खड़े कर रहे होते हैं और वे भी होते हैं जिन्होंने खाली पड़ी सरकारी जमीन या पडोसी के जमीन पर कब्जा किया हुआ होता है। उनकी तरफ़दारी करते हुए वे अपने को रोबिनहुड की तरह प्रस्तुत करते हैं। उनमें अनेक सांप्रदायिक दवानल भी उगलते हैं।

प्राचीन या मध्यकालीन राजतंत्र में राजाशही अधिकारों के आधार पर शासन चलता था। वह वंश, रिस्तेदारियों तथा लेन-देन आधारित होता था। दरबार के लोग तथा उनके मातहत कारिदे सामंतों की कृपा पर आश्रित रहते थे तथा सामंत राजा की कृपा पर राजा पर कृपा पाने के बाद वे स्वच्छंद होकर आवागम को अपने अंगुठे के नीचे रखते थे। उनका अपना कानून चलता था। लेकिन संवैधानिक संस्थाओं के निर्वाचित सदस्यों को एक विधान के तहत काम करना होता है। उनके पास कोई व्यक्तिगत या निरंकुश शक्ति नहीं होती। उनको मिले विशेषाधिकार सदनों के अंदर ही होते हैं बाहर नहीं। किन्तु आज के राजनेता को अपनी दरबारी संस्कृति भाती है जिसमें कायदे कानूनों की नहीं उनकी मर्जी चलती हो। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आजादी अचानक मिल गई। आजादी के बाद गणतान्त्रिक व्यवस्था तो संविधान सभा ने बना कर दे दी, किन्तु नयी व्यवस्था के अनुरूप विवेकशील समाज और जागरूक नागरिक बनाने की पूरी तैयारी नहीं हो पाई। स्वतंत्रता संग्राम केवल अंग्रेजों को बाहर कर देने का नहीं था, समाज को बदलने का उद्यम भी था जिसमें हमारे सामान्य व्यवहार में लंबे समय से अंदर गहरे तक धंसी सामंती मानसिकता को जड़ मूल से उखाड़नाभी शामिल था। देशी रीखातों, शासकों, जागीरदारों तथा उनकी कुलीन व्यवस्था को समाप्त करके उनके स्थान पर नयी संवैधानिक व्यवस्था में तब्दील करना भी था। भारतीय गणतंत्र का ढांचा तो बन गया जिसे थारतीय के लिए संविधान ने एक दूसरे से स्वतंत्र किन्तु एक दूसरे को बैलेंस करने वाले विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के तीन आधार बना दिए। इन तीनों में किसी को एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना था। संविधानिक संस्थाओं के सदस्यों को लोकतान्त्रिक प्रक्रिया से जुने जाने की व्यवस्था की गई और जिन्हें जनहितकारी नीतियां बनाने और शासन व्यवस्था को लागू करने दायित्व मिला। उनका कार्य लोकतान्त्रिक जिम्मेदारी के तहत होता है, न कि किसी व्यक्तिगत या सामंती सत्ता के रूप में। लेकिन हम देखते हैं कि राजनीति का पूरा आधार लोकसेवा का नहीं सत्ता का आकर्षण बन गया है। इससे व्यक्तिगत फायदे पाने के लिए लोग इसमें आते हैं और ऐसे लोगों की ही पूछ राजनैतिक दलों में भी होने लगी है। आजादी के बाद देश में अनेक बार कोशिशें हुई कि चुनावों में उम्मीदवार का चयन निर्वाचन क्षेत्र के लोग करें परंतु यह हक़ पार्टी आलाक़र्षकों के हाथों में चला गया और सत्ता का दुरुपयोग होना सामान्य चलन हो गया। भारतीय संविधान में सभी नागरिक बराबर हैं। देश की संप्रभुता यहां के प्रत्येक नागरिक के हाथ में है। संविधान इस कथन के साथ शुरू होता है कि हम भारत के लोग अपने आप को यह संविधान देते हैं। यह संविधान का निचोड़ उसके आमुख या प्रस्तावना में है। लेकिन विधायकों व संसदों का गैर-जिम्मेदाराना सार्वजनिक व्यवहार निश्चित रूप से खुद को पहला और हम भारत के लोगों को दोयम दर्जे का मानने वाला हो चला है।

भारतीय संविधान विधायकों और संसदों के कर्तव्यों और दायित्वों का निर्धारण करता है। इन दायित्वों का उद्देश्य लोकतान्त्रिक प्रणाली को सुचारु रूप से चलाना, सार्वजनिक भलाई सुनिश्चित करना होता है। कानून निर्माता होने के साथ-साथ निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपने चुनाव क्षेत्रों के मुद्दों को संसद और विधानसभा में उठाने की जिम्मेवारी होती है। लेकिन वे मुद्दे क्या होते हैं यह महत्वपूर्ण है। वे नीति संबंधी मुद्दे और समान न्याय आधारित विकास को सुनिश्चित करने वाले हो सकते हैं। विधायकों और संसदों का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य सरकार और प्रशासन की निगरानी करना भी होता है। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं होता कि वे किसी संवैधानिक न्याय प्रक्रिया से ऊपर हो जाते हों। उन्हें यह सुनिश्चित करना होता है कि सरकारी योजनाएं और नीतियां सही तरीके से लागू हो रही हैं और जनता के हित में हैं। इसके लिए संसद तथा विधानसभाओं के मंच होते हैं जहां उन्हें अपनी बात पुरजोर और तर्कपूर्ण तरीके से रखने का मौका मिलता है। वे प्रश्न पूछकर, समिति रिपोर्ट की जांच करके और विधायिका में चर्चा करके सरकारी कार्यों की समीक्षा करते हैं। मगर पेशेवर नेताओं की सौम्य व्यवहार रास नहीं आता। वे सदनों में भी कार्यवाही को बाधित करने की अपनी क्षमता पर गर्व करते हैं। उन्हें भारतीय संविधान और उसके तहत दिए गए अधिकारों, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का सम्मान करना कौन सिखाये, यह बड़ा सवाल है। विभिन्न राजनैतिक दलों की अपने उम्मीदवारों की छवि की जाहद उनमें चोट बटोरने की क्षमता में अधिक रुचि होती है ताकि वे बहुमत पा कर सरकार बना सकें। सत्ता पाने की वैसी ही दौड़ है जैसी कभी रियासती सत्ताओं के बीच होती थी। यह भी सच है कि मतदाता केवल आदर्शवाद या नायकत्व से प्रभावित नहीं होते, बल्कि वे अपने रोज़मर्रा के जीवन में अपने नेताओं से लाभ पाने की भी उम्मीद करते हैं। अनेक नेताओं की रीबिन्हडू जैसी छवि चुनावी रणनीति का हिस्सा बन जाती है। सरकार की जवाबदेही की तो संविधान में व्यवस्था है लेकिन निर्वाचित प्रतिनिधियों की जवाबदेही की कोई व्यवस्था नहीं है। मतदाता का अंकुश काम करता नज़र नहीं आता क्योंकि चुनाव में दलीय व्यवस्था में पार्टी संबद्धता के चलते मतदाता द्वारा अनेक बार नापसंद उम्मीदवार को भी समर्थन देते हमने देखा है। कुछ नेता अपनी लड़ाका छवि बनाकर अपनी जाति पर वचंस्व जमा कर अपनी सामाजिक स्थिति, सामर्थ्य और नेटवर्क से राजनैतिक सौदेबाजी करते हैं। कई नेता प्रशासन के लिए ही सिरदेह नहीं होते बल्कि निजी संस्थानों के जबरन संरक्षक बनकर भी अपनी सत्ता बनाए रखते हैं जिससे उनके निजी कार्यकर्ताओं का गुजारा होता रहे। इनमें अनेक उत्साही और मुख़्त डिखने का प्रयास करने वाले निर्वाचित प्रतिनिधियों को हम अक्सर अपने विचारों को व्यक्त करते हुए समाज में सरंघ भी डालते हुए भी पाते हैं। राजनैतिक दलों की यह दायित्व बनता है कि वे अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को सिखाये कि उनका सार्वजनिक व्यवहार कैसा हो क्योंकि विनम्रता और ईमानदारी लोकतंत्र की पहली शर्त होती है।

—अतिथि संपादक, राजेन्द्र बोड़ा

(वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक)

राशिफल

बुधवार 9 अप्रैल, 2025

चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, द्वादशी तिथि, बुधवार, विक्रम संवत 2082, मघा नक्षत्र
प्रातः ९:57 तक, राँउ योग सार्य ६:25 तक, बृह करण दिन 1०:०4 तक, चन्द्रमा आज सिंह राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-मीन, चन्द्रमा-सिंह, मंगल-कर्क, बुध-मीन, गुरू-वृष, शुक्र-

मीन, शनि-मीन, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।
आज राजयोग दिन ९:57 से रात्रि 1०:56 तक है। आज प्रदोष व्रत, अंगन त्रयोदशी, श्री महावीर जयन्ती है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: लाभ-अमृत सूर्योदय से ९:२1 तक, शुभ 1०:55 से 12:२8 तक, चर ३:36 से ५:1० तक, लाभ ५:1० से सूर्यास्त तक।

राहुकाल: 12:0० से 1:3० तक। सूर्योदय ६:13, सूर्यास्त ६:44



मेघ

परिवार में शुभ-मंगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है। व्यावसायिक यात्रा संभव है।



तुला

आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटक हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी।



वृष

घर-परिवार में अतिथियों का आमगन रहेगा। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है।



वृश्चिक

व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बने लगेँगे।



मिथुन

व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्यों में उचित सफलता मिल सकती है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में शुभ संदेश प्राप्त होंगे।



धनु

व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बने लगेँगे।



कर्क

आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बने लगेँगे। संभावित खोत से घन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों पर नियंत्रण बढ़ेगा। नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे।



मकर

आज आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। बन्ते कार्य विगड़ सकते हैं। शुभ कार्यों में व्यवधान सामने आ सकते हैं। नवीन कार्यों के लिए दिन अच्छा नहीं है।



सिंह

मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्य योजनानुसार बने लगेँगे। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



कुंभ

आज आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। बन्ते कार्य विगड़ सकते हैं। शुभ कार्यों में व्यवधान सामने आ सकते हैं। नवीन कार्यों के लिए दिन अच्छा नहीं है।



कन्या

आर्थिक मामलों में लाभवाही ठीक नहीं रहेगी। धन हानि हो सकती है। अनावश्यक धन खर्च होगा। घर-परिवार के कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी।



मीन

स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। विवाद मामलों से राहत मिल सकती है। अटके हुए कार्य बने लगेँगे। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी।

वर्तमान समय में भगवान महावीर के सिद्धांतों की प्रासंगिकता–1



भागचन्द्र जैन मित्रपुरा

जैन धर्म अनादि, अनंत – शाश्वत– सनातन धर्म है। इस हुंदावसर्पिणी काल में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ थे एवं अन्तिम २४वें तीर्थंकर वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर हैं। तेइसवें तीर्थंकर भगवान पार्वनाथ के मोक्ष चले जाने के कुछ वर्षों के बाद भारत वर्ष में अनेक मत्त – मत्तांतर प्रचलित हो गए थे। उस समय मनुष्य भ्रांतिवश स्वर्ग प्राप्ति के लोभ में जीवित पशुओं को यज्ञ में बलि देते थे। बौद्ध धर्म की क्षिणक वादिता को अपना कर मन में संताप कर रहे थे। वैदांतियों के प्रपंच में पड़कर आत्म हित से परे हो रहे थे। धर्म को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया जा रहा था। मिथ्यात्व का तिर्मि घर कर गया था। ऐसे समय में कल्याण का मार्ग दिखाने वाले किसी उद्धारक की नितांत आवश्यकता थी। सृष्टि का क्रम जन मानस की आवश्यकतानु रूप हुआ करता है। इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए स्व-पर के कल्याण मार्ग प्रशस्तक के रूप में सोलहवें अच्युत स्वर्ग के पुष्पोत्तर विमान से इंद्र का इस धरा पर वर्धमान नाम से अवरोहण हुआ, जिन्हें तीर्थंकर महावीर के नाम से भी जाना जाता है।

जीवन परिचय–भगवान महावीर का जन्म ५९९ ई. पूर्व क्षत्रीय कुण्डग्राम (कुण्डलपुर– वैशाली) वर्तमान बिहार राज्य में हुआ था। इनके पिता का नाम राजा सिद्धार्थ एवं माता का नाम रानी प्रियकारिणी (त्रिशला) था। महावीर के जन्म के समय स्वर्गलोक से जन्मोत्सव मनाने आए सौधर्म इंद्र ने बालक की शक्ति को अनुभव किया और वीर नामकरण कर दिया। महावीर के जन्म के साथ ही राज्य समृद्ध होने लगा एवं चारो ओर राज्य की कौर्ति फैलने लगी, इसे देखते हुए बालक का वर्धमान नाम रखा गया। कालांतर में दो चारण ऋद्धिधारी मुनियों का शंका समाधान वर्धमान को देखते ही स्वतः ही हो गया, उन्होंने वर्धमान को सन्मति नाम से पुकारा। गजशाला के एक मदनोन्मत्त हाथी ने वश में करने पर अतिमर कहलाए।

संगम देव द्वारा भयंकर सर्प का रूप धारण कर वर्धमान की शूरवीरता की परीक्षा ली गई। सर्प को वश में कर लेने पर महावीर के नाम से जाने जाने लगे।

महावीर जन्म से ही आमजन के हितार्थ कार्यों में लग गए थे। महावीर समय के साथ धीरे–धीरे बढ़ते होने लगे। उनकी समझ तो बाल्यकाल से ही अद्भुत थी। उन्हें अपने आत्म कल्याण की समझ आने लगी था। वे इस संसार को निस्सार मानते हुए भोगों में कभी प्रवृत्त नहीं हुए और आत्म चिंतन में लीन रहने लगे। इस समय वर्धमान के विवाह के प्रस्ताव आने लगे लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। महावीर जब तीस वर्ष के थे, तब पिता राजा सिद्धार्थ ने उन्हें राज कार्य संभालने हेतु कहने पर महावीर ने कहा कि जिस जंजाल से वे स्वयं बचना चाह रहे हैं उसमें मुझे फंसाने का कोई औचित्य समझ में नहीं आता है। वे माता पिता को अपने प्रयोजन से संतुष्ट करने के बाद तीस वर्ष की अवस्था में ही गृह त्याग कर वन की ओर प्रस्थान कर आत्म ध्यान में लीन हो गए। लगतार १२ वर्ष ५ माह एवं १५ दिन तक तप, संयम एवं साम्यभाव की साधना की, पंच महाव्रत आत्मसात किया। महावीर एक दिन ऋजुकूला नदी के किनारे आत्म ध्यान में लीन थे तब घातिया कर्मों का नाश कर वैशाख शुक्ला दशमी के दिन सम्पूर्ण ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ। इन्द्र की आज्ञा पाकर धनपति कुबेर ने समवशरण की रचना की। लेकिन गणधर के अभाव में, ६६ दिन तक उनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। इंद्रभूति नामक ब्राह्मण के समवशरण में आने पर ही भगवान की दिव्य वाणी खिरी। इंद्रभूति के प्रश्न का उत्तर देते हुए प्रथम उपदेश में जीव के स्वरूप का ज्ञान कराया।

इंद्रभूति ही भगवान के प्रथम गणधर बने जो गौतम गणधर के नाम से प्रसिद्ध हुए। तीर्थंकर के १० और गणधर बने। इनके समवशरण में देव, नर, तिर्यच गति के जीवों ने सदुपदेश प्राप्त किये। भगवान अर्थ–मागधी भाषा में तत्वों का उपदेश करते थे और गौतम गणधर उसे ठाहण करते थे। एक बार समवशरण में गौतम गणधर ने भगवान महावीर से प्रश्न किया कि, भंते ! दो व्यक्ति हैं, एक तो दिन रात आपकी भक्ति में लगा रहता है, जिससे उसे जन सेवा के लिए समय ही नहीं मिलता। दूसरा व्यक्ति वह है जो दिन रात जन सेवा में लगा रहता है, जिसके पास आपकी भक्ति के लिए समय ही नहीं है। इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है? धन्य है? पुण्यशाली है? महावीर ने समाधान

दिए। इंश्वर की सत्ता की जगह हम सब में ईश्वर बनने की क्षमता का संचार किया। मनुष्य स्वयं अपना कर्ता है। यह सृष्टि अनादि, अनंत है एवं कर्म सिद्धांतो पर चलती है। फल देने का या दंडित करने का कार्य ईश्वर का नहीं है। हम जानते हैं कि कंप्यूटर में जो कुछ भी फीड किया जाता है, परिणाम तदनु रूप ही आता है। तीर्थंकर महावीर ने अप्पा सो परमप्पा का उपदेश देकर विना किसी भेदभाव के प्रत्येक जीव और आत्मा को परमात्मा बनने का मार्ग बताया। गुणों की अपेक्षा से पुण्य विकसित आत्मा ही परमात्मा है। अन्य किसी भी धर्म में मनुष्य को अपने कर्म फल प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं दिया है। अन्य धर्मों में ईश्वर अवतार लेता है एवं उसे कर्ता एवं फल प्रदाता माना गया है।

केसरीसिंहपुर पालिका में चेयरपर्सन के फर्जी हस्ताक्षर से ईओ और बाबू ने पट्टा जारी किया

■ **पालिका चेयरपर्सन ने वसूल की गई ६६,९१७ की राशि के स्थान पर सरकारी रिकॉर्ड में सिर्फ २४ हजार कुछ रुपए ही जमा करवाकर शेष राशि का गबन का भी आरोप लगाया**

कर ६६,९१५ रुपए का डिमांड नोटिस जारी किया। इसके बाद पत्रावली में राशि जमा होना दर्शाते हुए पट्टा जारी करने के लिए पत्रावली चेयरपर्सन सुमिता रानी के पास भेजी गई। प्लाट का नक्शा टाउन प्लानर से पास नहीं होने के कारण चेयरपर्सन ने इस पट्टे पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। इसके बाद गुपचुप चेयरपर्सन के फर्जी हस्ताक्षर से पट्टा जारी कर दिया गया। मामला संज्ञान में आने पर चेयरपर्सन ने ईओ से इस मामले की जांच करवाने के लिए कहा, लेकिन तीन दिन बीतने के बाद भी जांच नहीं करवाई गई तो चेयरपर्सन ने पट्टा संबंधी रिकॉर्ड

गुणा ६० फीट साइज प्लाट का पट्टा जारी करने के लिए आवेदन किया। इसमें ४२,००० रुपए की राशि का डिमांड नोटिस जारी कर राशि जमा करवाई गई तथा पट्टा भी जारी कर दिया गया। एक पट्टे में फर्जीबाड़ा पकड़ में आने के बाद चेयरपर्सन ने अपने पति के नाम से जारी पट्टे की जमा राशि का रिकॉर्ड देखा तो राशि जमा ही नहीं होना पाया गया। अब इस मामले की शिकायत निकाय विभागे से की है।

अधिशाली अधिकारी विश्वास गोदारा ने बताया कि पालिका चेयरपर्सन ने इस मामले से अवगत करवाया है। इस मामले में कमेटी गठित कर कनिष्ठ सहायक मुकेश कुमार के कार्यकाल में दस्तावेजों की जांच करवाने के लिए निकाय विभागे के उपनिदेशक को पत्र लिखा गया है। तत्कालीन कनिष्ठ सहायक मुकेश

कुमार ने बताया कि लिपिकीय भूल से कोई चूक हो गई होगी। पुराना मामला है। मेरे संज्ञान में नहीं है। नगरपालिका से पूरी जानकारी मिल सकती है। मेरा स्थानांतरण हो गया।

चेयरपर्सन सुमिता रानी का कहना है कि फर्जी हस्ताक्षर से पट्टा जारी करने का मामला पकड़ में आया है। साथ ही डिमांड नोटिस के अनुसार वसूल की गई राशि भी सरकारी खजाने में जमा नहीं है। अधिशाली अधिकारी व बाबू की मिलीभगत से बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार कर गबन किया गया है। जो पट्टा मेरे फर्जी हस्ताक्षर से जारी किया गया है। उस पर अधिशाली अधिकारी विश्वास गोदारा के हस्ताक्षर हैं। पालिका में बीते वर्षों में किए गए भ्रष्टाचार व गबन मामले की जांच के लिए निकाय विभागे के उच्चाधिकारियों को शिकायत भेजी गई है।

परिसीमन को लेकर मोर्चा खोला

मसूदा, (निर्स)। मसूदा क्षेत्र के ग्राम श्यामगढ़, केरिया व चाचण्डिया के ग्रामीणों ने परिसीमन को लेकर मोर्चा खोला। मसूदा उपखंड क्षेत्र में राजस्व परिसीमन को लेकर हाल ही में बनी ग्राम पंचायत को लेकर आसपास के ग्रामीण गांव को अदला-बदली के चलते लाभबंद हो गए। एसडीओ केरिया एवं श्यामगढ़ के ग्रामीणों द्वारा उपखंड अधिकारी के समक्ष ज्ञापन प्रेषित किया